25/7/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित।
वकील प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के समन डाक द्वारा
भेजकर रिपोर्ट पेश की। विपक्षीगण अनुपस्थित।
विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन
आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के अनुपस्थित
रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही
की जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी।
आदेश अलग से लिखकर जारी खुले न्यायालय
सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो।
पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।
पत्रावली ~~निर्णय~~ निर्णय शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 46/2023

प्रार्थीगण :–
1. ठाकराराम पुत्र चेनाराम
2. किशनाराम पुत्र चेनाराम
कौम जाट साकिन बाण्ड तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–
1. ठाकराराम पुत्र प्रहलादराम
2. डूंगराराम पुत्र प्रहलादराम
3. पूनमाराम पुत्र प्रहलाद
4. लालाराम पुत्र प्रहलाद
5. हरींगाराम पुत्र प्रहलाद
6. धर्माराम पुत्र पनाराम
7. मांगी पत्नी पनाराम
8. मोटाराम पुत्र पनाराम
9. हडुमान पुत्र पनाराम
कौम जाट निवासी बाण्ड तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 25.07.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 451, 452/1 रकबा क्रमशः 0.0243, 3.1565 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखड़ा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा बाण्ड के खेत खसरा नम्बर 451, 452/1 रकबा क्रमशः 0.0243, 3.1565 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखड़ा को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25/7/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी